

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, शाहपुरा

अखराज रेवारी पुत्र हरमल रेवारी
निवासी माताजी का खेडा
तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

बनाम

काली देवी पत्नी कन्हैयालाल
निवासी माताजी का खेडा
तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
वगैरा


- प्रार्थी

- विपक्षी

प्रकरण संख्या 15/2024 आ०नि०

तारीखहुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.2024	न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से प्रकरण स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण को पंजीबद्ध किया जाकर उभय पक्षों को नोटिस जारी करें। अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया जावें। प्रकरण आयन्दा सुनवाई हेतु दिनांक 08.02.2024 को पेश करें।	
08.02.2024	<p>पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन न्यायाधीशों की अध्यक्षता में अतः पत्रावली पर आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 14.03.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(18) सेडर अति० जिला कलक्टर शाहपुरा</p>	<p style="text-align: center;">(चन्दन दुबे) अति० जिला कलक्टर भीलवाड़ा</p> <p style="text-align: right;">Gnanu अध्य.</p>
14-03-24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित होकर पत्रावली रसी स्वर पर विज्ञा करने का बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी अधिवक्ता श्री श्रवण लाल कुम्हार द्वारा निवेदन किया गया कि पत्रकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया गया है। जिल कारण प्रार्थी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः पत्रावली रसी स्वर पर</p> <p style="text-align: center;">(19) सेडर अति० जिला कलक्टर शाहपुरा</p>	<p>राजीनामा हो कर उक्तान में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है</p> <p style="text-align: right;">A4</p>

विज्ञो करने का आदेश परमापे अतः प्रार्थना
द्वीकार कर पञ्चावली इमी द्तर पर समाप्त
की जाती है। पञ्चावली जैशाल शुभार धेका नम्बर
से कम करै।


अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा (राज.)